



# सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

## असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-2, खण्ड (क)

(उत्तराखण्ड अध्यादेश)

देहरादून, सोमवार, 15 दिसम्बर, 2025 ई०

अग्रहायण 24, 1947 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या- 424 / XXXVI (3) / 2025 / 58(1) / 2025

देहरादून, 15 दिसम्बर, 2025

अधिसूचना

विविध

“भारत का संविधान” के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) के अधीन मा० राज्यपाल ने ‘उत्तराखण्ड दुकान और स्थापना (रोजगार विनियमन और सेवा-शर्त) (संशोधन) अध्यादेश, 2025’ प्रख्यापित किया है और वह उत्तराखण्ड राज्य का अध्यादेश संख्या: 04 वर्ष-2025 के रूप में सर्व-साधारण के सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

## उत्तराखण्ड दुकान और स्थापन (रोजगार विनियमन और सेवा-शर्त) (संशोधन)

अध्यादेश, 2025

(उत्तराखण्ड अध्यादेश संख्या- 04, वर्ष 2025)

भारत गणराज्य के छिहत्तरवें वर्ष में राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित

उत्तराखण्ड दुकान और स्थापन (रोजगार विनियमन और सेवा-शर्त) अधिनियम, 2017 (अधिनियम संख्या-03, वर्ष 2018) का अग्रेत्तर संशोधन करने के लिए

### अध्यादेश

चूंकि राज्य की विधानसभा सत्र में नहीं है तथा राज्यपाल का यह समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं जिनके कारण उन्हें तुरन्त कार्रवाई करना आवश्यक हो गया है;

अतएव अब, "भारत का संविधान" के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करते हैं--

- |                                     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ | 1.  | (1) इस अध्यादेश का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड दुकान और स्थापन (रोजगार विनियमन और सेवा-शर्त) (संशोधन) अध्यादेश, 2025 है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                     | (2) | इसका विस्तार संपूर्ण उत्तराखण्ड राज्य पर होगा।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                     | (3) | यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| धारा 1 का संशोधन                    | 2.  | उत्तराखण्ड दुकान और स्थापन (रोजगार विनियमन और सेवा-शर्त) अधिनियम, 2017 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या-03, वर्ष 2018) (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 1 की उपधारा (2) में "दस" शब्द के स्थान पर "बीस" शब्द प्रतिस्थापित कर दिये जायेंगे।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| धारा 8 का संशोधन                    | 3.  | मूल अधिनियम की धारा 8 में--<br><div style="margin-left: 20px;">(1) उपधारा (1) में शब्द "नौ घण्टे" एवं "पांच घण्टे" शब्दों के स्थान पर क्रमशः "दस घण्टे" और "छः घण्टे" शब्द प्रतिस्थापित कर दिए जायेंगे।<br/> <div style="margin-left: 40px;">(2) उपधारा 2 के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा प्रतिस्थापित कर दी जाएगी, अर्थात्--<br/> <div style="margin-left: 60px;">"किसी भी दुकान या स्थापन में किसी पाली में कार्य के घण्टों की कुल संख्या, जिसके अन्तर्गत विश्राम अंतराल भी है, बारह घण्टों से अधिक नहीं होगी।"</div> <div style="margin-left: 60px;">(3) उपधारा (3) में "नौ घण्टों" एवं "एक सौ पच्चीस" शब्दों के स्थान पर क्रमशः "दस घण्टे" और "एक सौ चवालीस घण्टे" शब्द प्रतिस्थापित कर दिये जायेंगे।</div> </div> </div> |
| धारा 9 का संशोधन                    | 4.  | मूल अधिनियम की धारा 9 में "नौ घण्टे" शब्द के स्थान पर "दस घण्टे" शब्द प्रतिस्थापित कर दिये जायेंगे।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

- धारा 19 का संशोधन 5. मूल अधिनियम की धारा 19 के स्थान पर निम्नलिखित धारा प्रतिस्थापित कर दी जायेगी, अर्थात्:—
- “किसी दुकान या प्रतिष्ठान के प्रत्येक नियोक्ता ऐसे प्रारूप और रीति (इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म सहित) में वार्षिक विवरण रखेगा, जैसा विहित किया जाए।”

ले ज गुरमीत सिंह,  
पीवीएसएम, यूवाईएसएम,  
एवीएसएम, वीएसएम (से नि)  
राज्यपाल, उत्तराखण्ड।

आज्ञा से,  
धनंजय चतुर्वेदी,  
प्रमुख सचिव।

No. 424/XXXVI(3)/2025/58(1)/2025  
Dated Dehradun, December 15, 2025

NOTIFICATION

Miscellaneous

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of ‘The Uttarakhand Shops And Establishments Uniform (Regulation Of Employment And Conditions Of Service) (Amendment) Ordinance, 2025’ (Uttarakhand Ordinance No. 04 of 2025).

As promulgated by the Governor on 15 December, 2025.

THE UTTARAKHAND SHOPS AND ESTABLISHMENTS (REGULATION OF  
EMPLOYMENT AND CONDITIONS OF SERVICE) (AMENDMENT) ORDINANCE,  
2025

[Uttarakhand Ordinance No. 04 of 2025]

Promulgated by the Governor in the Seventy sixth year of the Republic of India

An

Ordinance

Further to amend the Uttarakhand Shops and Establishments (Regulation of Employment and Conditions of Service) Act, 2017 (Act No 03 of 2018).

WHEREAS, State Legislative Assembly is not in session and the Governor is satisfied that circumstances exist which render it necessary for him to take immediate action;

NOW, THEREFORE, in exercise of the power conferred by clause (1) of Article 213 of the "Constitution of India", the Governor is pleased to promulgate the following Ordinance:-

- |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Short title, extent and commencement</b> | <p>1. (1) This Ordinance may be called the Uttarakhand Shops and Establishments (Regulation of Employment and Conditions of Service) (Amendment) Ordinance. 2025.</p> <p>(2) It shall extend to the whole State of Uttarakhand.</p> <p>(3) It shall come into force at once.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Amendment of Section 1</b>               | <p>2. In sub-section (2) of the section (1) of The Uttarakhand Shops and Establishments (Regulation of Employment and Conditions of Service) Act, 2017 (Uttarakhand Act No 03 of 2018). (hereinafter referred to as the principal Act), for the word "ten", the word "twenty" shall be substituted;</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Amendment of Section 8</b>               | <p>3. (a) In section 8 of the principal Act-</p> <p>(i) In sub-section (1) for the word "nine hours" and "five hours". the words "ten hours" and "six hours" shall respectively be substituted.</p> <p>(ii) For sub-section(2) of the principal Act, the following sub-section shall be substituted, namely:-</p> <p style="padding-left: 40px;">"The total number of hours of work in a shift including the rest interval shall not exceed twelve hours."</p> <p>(iii) In sub-section (3) for the words "nine hours" and "one hundred and twenty five" the words "ten hours" and "one hundred and forty four hours" shall respectively be substituted.</p> |
| <b>Amendment of Section 9</b>               | <p>4. In section 9 of the principal Act, for the words "nine hours". the words "ten hours" shall be substituted.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Amendment of Section 19</b>              | <p>5. For section 19 of the principal Act, the following section shall be substituted, namely:-</p> <p style="padding-left: 40px;">"Every employer of shop and establishment shall furnish an annual return, in such a form and manner (including electronic form), as may be prescribed."</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

LT GEN GURMIT SINGH,  
PVSM, UYSM, AVSM, VSM (Retd)  
Governor, Uttarakhand.

By Order,

DHANANJAY CHATURVEDI,  
Principal Secretary.